

## राष्ट्रीय लोक अदालत-2023

न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बाड़मेर

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 19(2) के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा के आदेश क्रमांक 12 दिनांक 07.02.2023 द्वारा आयोजित)

प्रार्थी/वादी/परिवादी - हडवंतसिंह व अन्य

अप्रार्थी/प्रतिवादी/उत्तरदाता - तहसीलदार बाड़मेर व अन्य

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

प्रकरण संख्या - 49/2021

उपस्थिति :-

1. श्रीमती आशा कुमारी, न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बाड़मेर - अध्यक्ष
2. श्री समदर सिंह भाटी, उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर - सदस्य


अधिनिर्णय

दिनांक : 11.02.2023


प्रकरण के पक्षकारों के मध्य विवाद राष्ट्रीय लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किया गया है और पक्षकारान ने प्रकरण में समझौता/राजीनामा/परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निर्बन्धनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है -


पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित अपीलधीन आदेश दिनांक 10.12.2001 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि माफिक राजीनामा विवादित आराजी के विभाजन की कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करें। तस्दीकशुदा राजीनामा मय नक्शा परिशिष्ट इस अधिनिर्णय का भाग रहेगा।

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय की फीस, यदि कोई उनमें से किसी द्वारा संदत्त की गई है तो यह वापस की जाएगी।

  
(सुनील कुमार)  
प्रार्थी/वादी/परिवादी  
उपक्षी. अपीलदाता

  
(समदर सिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर  
सदस्य

  
अधिप्रार्थी/प्रतिवादी/उत्तरदाता  
(सुनील कुमार)

  
( आशा कुमारी )  
न्यायाधीश  
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बाड़मेर  
अध्यक्ष